श्रीमान अध्यक्ष, महोदय राजस्व मण्डल, ग्वालियर म.प्र.

विविध-9230-PBR-16

निग.प्र.क्र. 3474-पीबीआर/16 जिला इन्दौर

श्रीराम बिल्डर्स तर्फे पार्टनर

श्री शशि भूषण पिता श्री ओमप्रकाश खण्डेलवाल

नि:- 541, अपोलो टॉवर, इन्दौर (म०प्र०) ....आवेदक

विरूद्ध

जैतूनबाई बेवा चांद खां पटेल व अन्य 8 ....अनावेदकगण

2-11-16

2-11-16

आवेदन-पत्र धारा 152 व्यवहार प्रक्रिया सहिंता सहपठित धारा 32 म०प्र० भू-राजस्व सहिंता के अंतर्गत

1.यह कि, श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी, महोदय द्वारा पारित दिनांक 26-06-2007 से संतुष्ट इस माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी थी जो निगरानी प्र.क्र. 3474-पीबीआर/2016 पर पंजीबद्ध की गयी ।

416 2/11/16

2. यह कि, श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी, महोदय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26-6-2007 को इस माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 26-10-2016 को निगरानी स्वीकार करते हुए अनुविभागीय अधिकारी, महोदय द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जाना आदेशित किया ।

3. यह कि, इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनाक 26-10-16 के अंतिम पृष्ठ (क्र० 20) के पेरा 13 की पंक्ति क्रमांक 4 में रकबा 0.376 हेक्टेयर त्रुटिवश टंकण त्रुटि के कारण हो गया है । जबकि पेरा 13 की पंक्ति क्र.4 में रकबा 0.376 के स्थान पर रकबा 0.315 हैक्टेयर टंकित किया जाना था । जो त्रुटिवश [redacted] हो गया है ।

अत: निवेदन है कि यह आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26-10-16 के पृष्ठ क्र. 20 के पेरा 13 की पंक्ति क्र. 4 सर्वे नं 73/4 रकबा 0.376 है. के स्थान पर सर्वे नं.73/4/2 रकबा 0.315 हेक्टेयर लिखा जाने के आदेश प्रदान किये जायें । शेष अभिलेख यथावत रखे जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा की जावे ।

दिनांक 2-11-16

ग्वालियर

प्रार्थी

श्रीराम बिल्डर्स

द्वारा अभिभाषक

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध 9230—पीबीआर / 2016 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02.11.16	आवेदक अधिवक्ता श्री के0के0द्विवेदी उपस्थित । उनके द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत बतलाया गया कि इस न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक निगरानी 3474—पीबीआर / 16 में दिनांक 26—10—16 को आदेश पारित किया गया है । उक्त आदेश के पृष्ठ कमांक 20 के पैराग्राफ नम्बर 13 की पंक्ति कमांक 4 में सर्वे कमांक 73 / 4 / 2 रकबा 0.315 हेक्टेयर के स्थान पर टंकण त्रुटि के कारण सर्वे कमांक 73 / 4 रकबा 0.376 हेक्टेयर अंकित हो गया है अतः उक्त त्रुटि सुधार की जाये । विचारोपरांत अभिलेख के अवलोकन उपरांत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है । आवेदक अधिवक्ता के तर्क से सहमत होते हुये इस न्यायालय के आदेश दिनांक 26—10—2016 के पृष्ठ कमांक 20 के पैराग्राफ नम्बर 13 की पंक्ति कमांक 4 में सर्वे कमांक 73 / 4 रकबा 0.376 हेक्टेयर के स्थान पर सर्वे कमांक 73 / 4 / 2 रकबा 0.315 हेक्टेयर पढ़ा जाये । यह आदेशिका मूल आदेश का अंग होगी, अतः मूल आदेश के साथ संलग्न की जाये। अध्यक्ष	